SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भारत में माध्यमिक शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

रागिनी कुमारी, शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग
राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखण्ड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

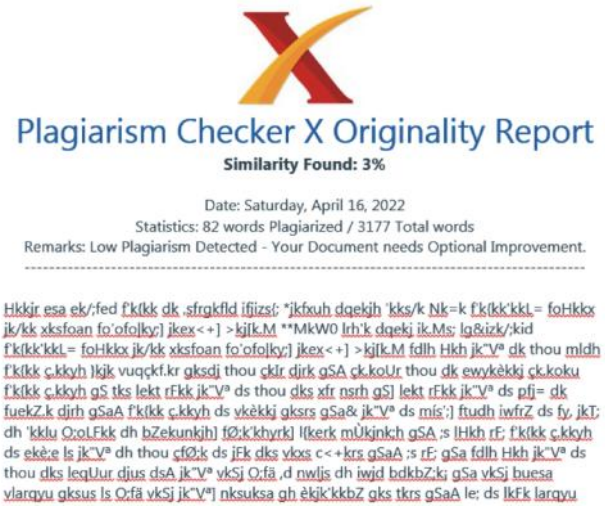

Corresponding Author
रागिनी कुमारी, शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग
राधा गोविंद विश्वविद्यालय,
रामगढ़, झारखण्ड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 16/04/2022
Revised on : -----
Accepted on : 23/04/2022
Plagiarism : 03% on 16/04/2022

शोध सार

माध्यमिक शिक्षा राष्ट्र की शक्ति को वांछित दिशा प्रदान करती हैं। यह राष्ट्र के सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का केन्द्र बिंदु होता है क्योंकि प्राथमिक और उच्च शिक्षा को जोड़ने का महत्ती कार्य करती है। इस सन्दर्भ में हुमायूं कबीर ने कहा है कि – ''माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा की एक ऐसी कड़ी है जो दृढ़ता के साथ प्राथमिक और उच्च शिक्षा को एक कड़ी में बांधता है।'' प्रस्तुत शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा का वर्तमान औपचारिक सांगठनिक ढांचा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सौ साल पुराना है जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है– स्वतंत्रता पूर्व माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय आंदोलन और माध्यमिक शिक्षा तथा स्वतंत्रता पश्चात मध्यमिक शिक्षा। अध्ययन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता पूर्व माध्यमिक शिक्षा के औपचारिक संगठनों का विकास ब्रिटिश शासन में हुआ और उस समय तक 12,693 माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हुई थी जिसमे 29,53,996 छात्र नामांकित थे, जबकि स्वतंत्रता पश्चात इसकी संख्या सन् 2010– 11 में 80,000 विद्यालयों की हो गई और नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 2.10 करोड़ हो गई हैं।

मुख्य शब्द

माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा नीतियां, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा.

किसी भी राष्ट्र का जीवन उसकी शिक्षा प्रणाली द्वारा अनुप्राणित होकर जीवन प्राप्त करता है। प्राणवन्त जीवन का मूलाधार प्राणवान शिक्षा प्रणाली है जो समाज तथा राष्ट्र के जीवन को गति देती है, समाज तथा राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करती हैं। शिक्षा प्रणाली के आधार होते हैं: राष्ट्र के उद्देश्य, जिनकी पूर्ति के लिए राज्य की शासन व्यवस्था की ईमानदारी, क्रियाशीलता, सक्षमता उत्तरदायी है। ये सभी तथ्य शिक्षा प्रणाली के माध्यम से

राष्ट्र की जीवन प्रक्रिया के रथ को आगे बढ़ाते हैं। ये तथ्य हैं किसी भी राष्ट्र के जीवन को समुन्नत करने के। राष्ट्र और व्यक्ति एक दूसरे की पूरक इकाईयाँ हैं और इनमें असंतुलन होने से व्यक्ति और राष्ट्र, दोनों ही धराशाई हो जाते हैं। समय के साथ संतुलन अनिवार्य है, समायोजन अपरिहार्य है। समय के बदलाव से भटकाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति और समाज के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि मानव संस्कृति की विकास यात्रा पर दृष्टिपात करें तो यही पाएँगे कि व्यक्ति और समुदाय, दोनों ही स्तरों पर वांछित लक्ष्यों को पाने के लिए सभी सभ्य समाजों में शिक्षा की संस्था की संकल्पना की गई। देश काल में बदलाव के साथ शिक्षा की भूमिका और स्वरूप में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। शिक्षा के उद्देश्यों, विषय–वस्तु, माध्यम, अध्यापन और शिक्षकों की तैयारी आदि में भी इन परिवर्तनों का अवलोकन किया जा सकता है। शिक्षा का जीवन के प्रत्येक पक्ष में परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से गहन संबंध है। व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष– शारीरिक, मानसिक, भौतिक, चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, व्यवहारिक, व्यवसायिक, राजनीतिक तथा सामाजिक आदि शिक्षा से जुड़े रहते हैं। इससे वे प्रभावित होते हैं तथा इसे प्रभावित करते हैं।

सारी विविधताओं के बावजूद यह मानना उचित जान पड़ता है कि शिक्षा की पूरी संरचना और प्रक्रिया कुछ सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति समर्पित है। भारतीय संदर्भ में ''सा विद्या या विमुक्तये'' और 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति'' यह कर हमारे शिक्षा या विद्यार्जन को एक मुक्तिदायी उपक्रम माना गया है। यह मुक्ति उन विभिन्न प्रकार के क्लेशों या तापों से मुक्ति को बताती है जिनसे मनुष्य पीड़ित रहता है। यह मुक्ति बहुआयामी है। शिक्षा के इस अर्थ का यदि गहन रूप से मूल्यांकन किया जाए तो यह बहुत ही उच्च कोटि का है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य परमात्मा के साथ आत्मसात करना है। इस संदर्भ में 'यजुर्वेद' में यह वर्णन किया गया है – ''विद्या ऐसी प्रक्रिया है जिससे अमरत्व की प्राप्ति होती है।'''

इसी प्रकार, 'स्वामी शंकराचार्य' के अनुसार – ''विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे।''

शिक्षा की प्रक्रिया विद्या उपलब्ध कराने वाली साधना है जो अन्य साधनाओं का मार्ग भी प्रशस्त करती है। परन्तु उसके लिए पात्रता आवश्यक है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं:

विद्या ददाति विनयं विनयाद याति पात्रताम।
पात्रत्वात धनमाप्नोति धनाद धर्म ततः सुखम।।

अर्थात् ज्ञान या विद्या की प्राप्ति विनय से होती है, विनय से पात्रता मिलती है, पात्रता से धन की पात्रता होती है, धन से धर्म का आचरण किया जाता है और फिर उस आचरण से सुख मिलता है। यदि शिक्षा, सुख का साधन है तो स्वाभाविक है कि वह सत्–असत् विवेक का विकास करे जो विभिन्न प्रकार के 'क्लेशों' से निपटने में हमारी मदद करे। वास्तविक शिक्षा तनाव, अवसाद, घृणा और हिंसा जैसे विकारों को दूर करती है।

शिक्षा एक प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति में अन्तर्निहित सभी शक्तियों का सन्तुलित उपयोग इस प्रकार करती है जिससे उसका सौन्दर्यात्मक, सांस्कृतिक, नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक, धार्मिक, वृत्तिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भावात्मक तथा मनोरंजनात्मक के समरूप विकास हो सके।

अनेक विद्वानों ने शिक्षा के अर्थ को अलग–अलग दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। जिनमें कुछ के विचार नीचे दिए जा रहे हैं:

1. **प्लेटो:** ''शिक्षा का अर्थ छात्र के शरीर तथा आत्मा में सारे सौन्दर्य तथा पूर्णता को उसकी योग्यता के अनुसार विकसित करना है।''
2. **शिक्षा नीति, 1986:** ''शिक्षा लोगों को सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है।''
3. **श्री अरविन्द:** ''शिक्षा मात्र ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वरन् शिक्षा वह है जो मानव का पूर्ण विकास करने की क्षमता रखती हो।''

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा राष्ट्र की शक्ति को वांछित दिशा प्रदान करती है। माध्यमिक शिक्षा, देश के सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की रीढ़ है। शरीर रचना में जो महत्व रीढ़ की हड्डी का है, वही स्थान माध्यमिक शिक्षा का देश के अर्थतन्त्र में है। माध्यमिक शब्द का अर्थ है – मध्य की। माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की शिक्षा है।

माध्यमिक का अंग्रेजी शब्द 'Secondary' है, जिसका अर्थ है – दूसरे स्तर की। पहले स्तर की प्राथमिक शिक्षा तथा दूसरे स्तर की माध्यमिक शिक्षा होती है। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी है, जिसके पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा और बाद में विश्वविद्यालयी शिक्षा होती है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 14 से 18 वर्ष के बालक व बालिकायें कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 एवं 10 को उच्च माध्यमिक तथा 11 और 12 को उच्चतर माध्यमिक स्तर कहा जाता है।

इस संदर्भ में 'हुमायूँ कबीर' लिखते हैं – ''माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा की एक ऐसी कड़ी है जो प्राथमिक व उच्च शिक्षा को एक दृढ़ता के साथ एक कड़ी में बाँधती है।''

माध्यमिक शिक्षा के द्वारा बालकों में सेवाभाव, सहयोग, अनुशासन, स्वार्थों का त्याग और राष्ट्रीयता आदि गुणों का विकास किया जाता है। इस स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य बालकों का शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, नैतिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक आदि का विकास करना होता है ताकि वे राष्ट्र के विकास सम्बन्धी कार्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकें। इस स्तर पर बालक में नेतृत्व सम्बन्धी गुणों के विकास पर बल दिया जाता है। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि करना है ताकि शैक्षिक बेरोजगारी का उन्मूलन किया जा सके।

भारत में माध्यमिक शिक्षाः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

वर्त्तमान की जड़ें अतीत में विद्यमान होती हैं। भारत का अतीत गौरवमय रहा है; इससे वर्तमान आलोकित हुआ है और भविष्य के प्रति आस्था उपजी है। प्राचीन काल में आध्यात्मिकता से ही राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक धारायें प्रवाहित हुईं। प्राचीन काल में शिक्षा इस सिद्धान्त पर आधारित थी कि – अनादिकाल से भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं अपितु धर्म के लिये प्राप्त की जाती थी। यह मुक्ति और आत्मबोध का साधन थी और जीवन का महान् लक्ष्य मुक्ति था।

भारत में शिक्षा के तत्त्व, प्रणाली तथा संगठन का स्वरूप प्रायः 'वैदिक युग' से माना जाता है। आज का भारत जो कुछ है, वह अपनी गत 5000 वर्ष की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत की देन है। प्राचीन भारत में जन–सम्पर्क के साधन तो न थे पर विद्यालयों से ही सम्पर्क एवं सम्बन्धों का गठन होता था।

'मनु महाराज' ने प्राचीन शिक्षा के बारे में कहा हैः

एतद्वेश प्रसूतस्य एकाशादभ्रजन्मनः।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेम् पृथिव्यां सर्वमानवाः।।

अर्थात् इस धरती पर उत्पन्न होने वाले अग्रजन्मा ब्राह्मण ने समाज मानवों को चरित्र की शिक्षा दी है।

वैदिक युग के बाद 'ब्राह्मण युग' का समय आया। जिसकी शिक्षा व्यवस्था बहुत कुछ वेदकालीन शिक्षा का ही परिष्कृत तथा उन्नत रूप थी। इस युग में विद्यारम्भ, उपनयन, समावर्तन संस्कारों से शिक्षा की प्रक्रिया का सम्पादन होता है। प्रकृति का सम्पर्क शिक्षा के लिए अनिवार्य था। शिक्षा का सत्र श्रावण पूर्णिमा से आरम्भ होता था। पौष की पूर्णिमा को सत्र समाप्त होता था। अनध्याय (अवकाश) भी होता था। ब्राह्मण युग में निःशुल्क तथा सार्वभौमिक शिक्षा थी। शिक्षा विधियों में श्रवण, मनन, चिन्तन, स्वाध्याय और पुनरावृत्ति को अपनाया जाता था। परंतु इस शिक्षा में कर्मकाण्ड का बोलबाला था, जिस कारण चारों ओर दिशाहीनता का वातावरण था।

ऐसे समय में 'बौद्ध धर्म का उद्भव' वैदिक कर्मकाण्डों की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। ब्राह्मणों ने जन साधारण

को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। फलतः बौद्धधर्म के प्रादुर्भाव ने जनता को शिक्षित करने, उन्हें धर्म का आचरण करने की स्वतन्त्रता प्रदान की। बौद्ध युगीन शिक्षा में शिक्षा प्रणाली गुरू–गृह न होकर संस्थागत हो गयी। इसमें प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था हुई। सभी व्यावहारिक विषयों की शिक्षा जो आज भी दी जाती है, बौद्ध युग की देन है। बौद्ध युग की शिक्षा प्रणाली ने नैतिकता तथा अनुशासन के क्षेत्र में नवीन मानदण्ड स्थापित किये। ह्वेनसांग, फाह्यान तथा इत्सिंग ने इस प्रकार के अनेक वर्णन किये हैं, जिनसे उस युग की शैक्षिक देन का पता चलता है।

बौद्ध युगीन शिक्षा के बाद 'मुस्लिम युगीन शिक्षा' का युग आया। भारत में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली बहुमुखी होकर विकसित हुई। इसने एक ओर इस्लाम तथा कुरान को जीवन शैली का आधार बनाया तो दूसरी ओर मिश्रित संस्कृति और सभ्यता में नयी दिशा विकसित हुई। परंतु अनेक राजनीतिक, सामाजिक कारणों से मुस्लिम शिक्षा प्रणाली जनजीवन के हृदय को स्पर्श न कर सकी।

माध्यमिक शिक्षा का विकास

माध्यमिक शिक्षा का वर्त्तमान रूप अपने पीछे 100 वर्ष से अधिक की विकास परंपरा को लिये हुये है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी एवं अन्य यूरोपीय व्यावसायिक कम्पनियों के साथ धर्म–प्रचार के लिये मिशनरी आये और उन्होंने विदेशियों के बालको की शिक्षा की व्यवस्था की। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने पढ़े लिखे भारतीयों के लिये नौकरी के द्वारा खोल दिये। इसका परिणाम यह हुआ कि पाश्चात्य शिक्षा का विकास तेजी से होने लगा।

देश में माध्यमिक शिक्षा के विकास क्रम को कालखंड के अनुसार मुख्यतः तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता है:

1. स्वतंत्रता पूर्व माध्यमिक शिक्षा
2. राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन एवं माध्यमिक शिक्षा
3. स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा

1. स्वतंत्रता पूर्व माध्यमिक शिक्षा

भारत में व्यापार करने के लिए कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का निर्माण सन् 1599 में किया। आगे चलकर कम्पनी ने व्यापार के साथ–साथ धर्म प्रचार को भी अपना उद्देश्य बनाया। धर्म प्रचार तथा शिक्षा प्रसार के लिये सन् 1614 ई0 में कम्पनी ने भारतीयों को धर्म का प्रशिक्षण लेने इंग्लैण्ड भेजा। सन् 1673 में प्रिंगल ने मद्रास में माध्यमिक स्कूल खोला जिसमें कम्पनी के कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते थे।

1830 में कम्पनी के डायरेक्टर्स ने अंग्रेजी की शिक्षा देने का निश्चय किया। 7 मार्च, 1835 को 'लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति' पर 'लॉर्ड विलियम बैंटिंक' ने हस्ताक्षर कर दिये जिसके दौरान भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास तेजी से होने लगा।

(i) वुड–डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र (1854)

माध्यमिक शिक्षा के विकास में वुड डिस्पैच का बहुत महत्व है। वुड–डिस्पैच ने माध्यमिक शिक्षा के लिये नींव का कार्य किया है। इसके आधार पर मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई। इन विश्वविद्यालयों ने मैट्रिक की परीक्षा के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों पर नियन्त्रण करना आरम्भ किया। जिसके कारण माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रगति हुई।

(ii) हण्टर कमीशन (1882)

इसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा ऐसी शिक्षा थी जो 12 से 18 वर्ष के आयु के बालकों को दी जाती थी। हण्टर कमीशन की सिफारिशों ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर को पहली बार एक अलग पहचान वाला स्तर मानने की प्रस्तावना की। जिसके कारण माध्यमिक शिक्षा का विकास तेजी से होने लगा।

(iii) हर्टोग कमेटी (1929)

इस कमेटी ने इस बात को स्पष्ट किया था कि मैट्रिक की परीक्षा ही समूची माध्यमिक शिक्षा पर छाई हुई है और मैट्रिक में असफल होने वाले विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या– केवल अपव्यय के सिवा कुछ भी नहीं है।

(iv) सार्जेण्ट रिपोर्ट (1944)

1944 में युद्धोत्तरकाल की परिस्थितियों के सन्दर्भ में सार्जेन्ट रिपोर्ट का निर्माण हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार – माध्यमिक कोर्स 6 वर्ष का हो। प्रवेश की आयु प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् 11 वर्ष हो। हाईस्कूल के लिये प्रतिभाशाली छात्रों को चुना जाये, चुनाव प्रभावशाली व निष्पक्ष हो।

महत्वपूर्ण कमेटियों और आयोगों के सुझाव के परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है:

ब्रिटिश काल में माध्यमिक शिक्षा का विकास

वर्ष	माध्यमिक स्कूलों की संख्या	विद्यार्थियों का दाखिला
1852	32	.....
1882	3,916	2,14,677
1902	5,124	6,22,868
1921–22	7,530	11,06,803
1947–48	12,693	29,53,996

(स्रोतः जे0एस0 वालिया, माध्यमिक शिक्षा एवं स्कूल प्रबन्ध, अहम् पाल पब्लिशर्ज, पंजाब, पृष्ठ–7)

2. राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन एवं माध्यमिक शिक्षा

भारत वर्ष पर विदेशी शक्तियों की सत्ता के फलस्वरूप प्राचीन भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीयता, विश्वबन्धुत्व एवं मानव कल्याण की पोषक शिक्षा प्रणाली का स्थान संकुचित, व्यवसाय आधारित एवं लिपिक निर्माण वाली शिक्षा ने ले लिया। ऐसी परिस्थितियों में अनेक शैक्षिक परीक्षणों के माध्यम से विद्यार्थी को माध्यमिक स्तर पर जीवनोपयोगी, स्वावलम्बन आधारित एवं संस्कृति प्रधान शिक्षा से जोड़ने हेतु भारत के दूरदर्शी नेताओं, समाज सुधारकों एवं शिक्षाविदों द्वारा विविध प्रयास किये गये जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:

(क) विश्व भारती (शान्ति निकेतन)

(ख) गुरूकुल प्रणाली

(ग) वनस्थली विद्यापीठ

(घ) अरविन्द आश्रम

(ड.) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (जामिया मिलिया, एवं गुजरात विद्यापीठ)

(च) बेसिक शिक्षा।

इन सभी प्रयासों द्वारा शिक्षा को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ते हुए ऐसे विद्यार्थियों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई जो संस्कारवान, राष्ट्रवादी एवं देश के चहुँमुखी विकास हेतु उत्पादक संसाधनों के रूप में कार्य कर सके।

3. स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा

स्वतत्रंता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा के विकास में 4 महत्वपूर्ण समितियों तथा आयोगों का गठन हुआः

1. **ताराचन्द समिति (1948):** इस समिति ने सुझाव दिया कि बहुउद्देश्यीय माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया जाये। समिति ने एक आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता अनुभव की।

2. **विश्वविद्यालय आयोग (1948):** विश्वविद्यालय आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा ही विश्वविद्यालय की शिक्षा का आधार है। उसमें सुधार होने चाहिये।
3. **माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53):** इस आयोग की नियुक्ति माध्यमिक शिक्षा के संगठन के अध्ययन के लिये हुई थी। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन का प्रारूप प्रस्तुत किया। जो इस प्रकार है – (1) 6–14 वर्ष का 8 वर्ष का पाठ्यक्रम। (2) 15–17 वर्ष की आयु के बालकों के लिये 3 वर्ष के विभिन्न कोर्स। (3) हायर सेकेण्डरी के पश्चात् 3 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम।
4. **शिक्षा आयोग (1964–66):** डॉ0 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने सारे देश में माध्यमिक शिक्षा की समरूपता की सिफारिश की। विभिन्न पाठ्यक्रमों विषयों तथा डाक द्वारा शिक्षा का प्रावधान प्रस्तुत किया।

स्वतन्त्र भारत में माध्यमिक शिक्षा के संख्यात्मक विकास का विवरण निम्नलिखित है:

स्वतन्त्र भारत में माध्यमिक शिक्षा का संख्यात्मक विकास (लगभग)

शैक्षिक सत्र		**1950–51**	**1960–61**	**1970–71**	**1980–81**	**1990–91**	**2000–01**	**2010–11**
माध्यमिक विद्यालयों की संख्या		**7000**	**17000**	**35000**	**49000**	**60000**	**70000**	**80000**
छात्र संख्या (करोड़ में)	लड़के	0.11	0.24	0.48	0.67	0.90	1.10	1.30
	लड़कियाँ	0.12	0.05	0.15	0.28	0.40	0.56	0.80
	कुल	0.23	0.29	0.63	0.95	1.30	1.66	2.10
14–17 आयु वर्ग में नामांकन (प्रतिशत में)	लड़के	9%	17.5%	26%	30%	35%	38%	42%
	लड़कियाँ	1.5%	4%	9%	13%	18%	21%	30%
	कुल	5%	10.5%	17%	21%	26%	30%	36%

(स्त्रोतः गुप्ता, एस.पी, आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन, 2013, पृ. 115)

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ एवं माध्यमिक शिक्षा

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता, समाजवादी समाज एवं सांस्कृतिक व आर्थिक विकास की स्थापना हेतु शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता को केन्द्र में रखते हुए विभिन्न कालखण्डों में शिक्षा के राष्ट्रव्यापी सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का निर्धारण किया। जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है:

1. राष्ट्र शिक्षा नीति, 1968

इस नीति में कहा गया कि समस्त देश के लिए ''एक समान शिक्षा'' की रूपरेखा लाभप्रद होगी। इसने शिक्षा के 10+2+3 प्रारूप की सिफारिश सारे देश में अपनाने के लिए की। इससे तात्पर्य था कि 10 साल की मैट्रिक तक शिक्षा, 2 वर्ष की हायर सेकेण्डरी की शिक्षा और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होना चाहिए। इस नीति में माध्यमिक स्तर पर तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान विकासशील अर्थव्यवस्था एवं रोजगारपरक अवसरों के अनुरूप करने पर बल दिया गया।

2. परिशोधित शिक्षा नीति का मसौदा 1979

इस नीति में माध्यमिक शिक्षा के संपूर्ण शिक्षा श्रृंखला की केन्द्रीय कड़ी मान कर उसके गुणात्मक विकरास, व्यावसायिक कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यापकता के विकास की अनुशंसा की गई।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात् शिक्षा नीति बनाने के क्षेत्र में एक नई लहर आ गई। अगस्त, 1985 में एक दस्तावेज 'शिक्षा की चुनौती' को विचार–विमर्श के लिए सारे देश में परिचालित किया गया। इसके पश्चात्

मई, 1986 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' बनाई गई। इस नीति में यह सुझाव दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा का और विस्तार किया जाये ताकि जिन क्षेत्रों में यह इस समय उपलब्ध नहीं है। वहाँ इसको पहुँचाया जाये। इस नीति ने यह भी प्रस्ताव किया कि विशिष्ट योग्यता या अभिरूचि वाले बालकों की तेज गति से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता शिक्षा उनके लिये उपलब्ध होनी चाहिए।

4. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992

इस नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि +2 स्तर की शिक्षा सम्पूर्ण देश में माध्यमिक विद्यालयों में ही दी जाये न कि कॉलेजों में। माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा दी जाये तथा यह भी सुझाव दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का पुनर्संगठन किया जाये और उन्हे स्वायत्तता मिले ताकि उनकी माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में वृद्धि हो सके।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

यह नीति वर्त्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। जैसा कि यहाँ दी गयी आकृति में दिया गया है:

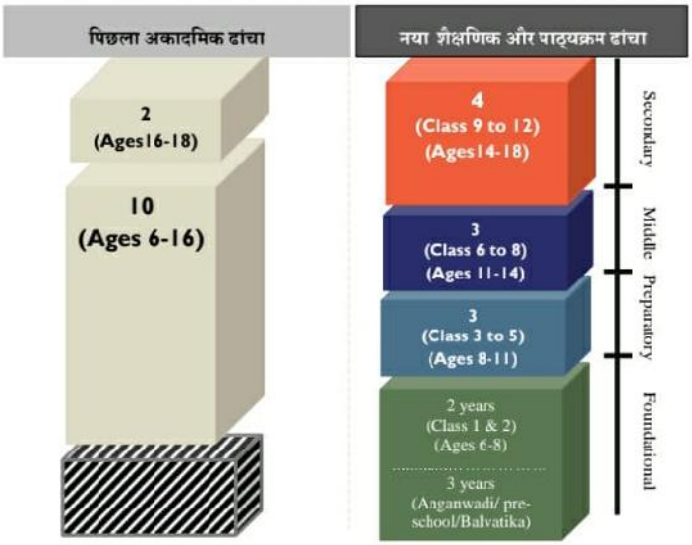

सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केन्द्रबिन्दु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना हैं। पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक प्रत्येक स्तर में एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल और मूल्यों की पहचान की जाएगी।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020; 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। अतः आशा की जाती है कि यह नीति शिक्षा क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तन लाएगी।

निष्कर्ष

माध्यमिक शिक्षा के विकास क्रम से यह ज्ञात होता है कि आज माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ विस्तार और प्रगति हो रही है। माध्यमिक विद्यालयों की तथा विद्यार्थियों की संख्या मं तेजी से वृद्धि हो रही है। न केवल मात्रात्मक वृद्धि हो रही है। वरन् गुणात्मक परिवर्तन भी लाये जाने की ओर चेष्टायें हो रही है और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा हैं। अतः भविष्य में आशा है कि सरकार के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत की माध्यमिक शिक्षा उच्च कोटि की हो जाएगी, जिससे यह आधुनिक युग की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगी।

संदर्भ सूची

1. सक्सेना, एन0 आर0 स्वरूप (2011), *शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त;* आर0 लाल बुक डिपो, निकट गवर्नमेन्ट कॉलेज, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ।
2. शर्मा, आर0 ए0 (2013), *शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार,* आर0 लाल बुक डिपो, निकट गवर्नमेन्ट इण्टर कॉलेज, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ।
3. वालिया, जे0 एस0 (2009), *माध्यमिक शिक्षा एवं स्कूल प्रबन्ध;* अहम् पाल पब्लिशर्ज, एन0 एन0–11, गोपाल नगर, जालन्धर शहर, पंजाब।
4. कपिल, एच0के0 (2015), *अनुसंधान विधियाँ;* एच0 पी0 भार्गव बुक हाऊस, 4/230, कचहरी घाट, आगरा।
5. शर्मा, आर0 ए0 (2012), *शिक्षा प्रशासन एवं प्रबन्धन;* आर0 लाल बुक डिपो, निकट गवर्नमेन्ट इण्टर कॉलेज, मेरठ।
6. भटनागर, सुरेश (2009), *आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ;* आर0 लाल बुक डिपो, निकट राजकीय इण्टर कॉलेज, मेरठ।
7. पाठक, पी0 डी0 एवं के0पी0 मंगल (2013–14), *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा के आधार एवं विकास;* अग्रवाल पब्लिकेशन्स, 28/115, ज्योति ब्लॉक, संजय प्लेस, आगरा–2
8. वालिया, जे0 एस0 (2014–15), *शिक्षा मनोविज्ञान की बुनियादें;* अहम् पाल पब्लिशर्ज, एन0 एन0–11, गोपाल नगर, जालन्धर शहर, पंजाब।
9. पाठक, पी0डी0 (2013), *शिक्षा मनोविज्ञान;* अग्रवाल पब्लिकेशन्स, 28/115, ज्योति ब्लॉक, संजय प्लेस, आगरा–2
10. अग्रवाल, जे0 सी0 एवं एस0 गुप्ता (2011), *भारतीय माध्यमिक शिक्षा का 21वीं शताब्दी में दिव्यदर्शन;* शिप्रा पब्लिकेशन्स, स्ळ18.19ए पंकज सेंट्रल मार्केट, पतपरगंज, दिल्ली।
11. माथुर, एस0 एस0, *शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षा;* अग्रवाल पब्लिकेशन्स, 28/115, ज्योति ब्लॉक, संजय प्लेस, आगरा–2
12. सिंह, क्रान्ति कुमार (2008), माध्यमिक स्तर के ग्रामीण एवं नगरीय छात्र एवं छात्राओं की मानसिक योग्यता एवं सृजनात्मकता का अध्ययन; पी–एच0डी0, मनोविज्ञान, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
13. वर्मा, मृदुल कुमार (2003), माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनकी बुद्धि, समायोजन तथा उपलब्धि प्रेरणा से सम्बन्ध; पी–एच0डी0 शिक्षाशास्त्र, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, उत्तर प्रदेश।
14. एस०पी० गुप्ता (2013), *आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ,* शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश,पृष्ठ– 115
15. सिंह,आकाश दीप (2019), बाराणसी जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर उनकी बुद्धि, उपलब्धि प्रेरणा एवं समायोजन का प्रभाव, पी–एच. डी. शोध प्रबंध, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी उत्तर प्रदेश।
16. मिश्र, गिरीश्वर, *शिक्षा का आशाय,* भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष 39 अंक 4, अप्रैल 2019, श्री अरविंद मार्ग,नई दिल्ली, पृष्ठ 5 – 11, NCERT कैम्पस, https://www.education.gov.in, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

****